



क्रमांक: एनसीडी / यूनिवर्सल स्क्रीनिंग / एचडब्ल्यूसी/2019-20/ 606

दिनांक - 19/9/19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
जिला नोडल ऑफिसर, एनसीडी, (राजस्थान)।

विषय:-राज्य के अन्तर्गत 1787 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (हेल्थ वेलनेस सेन्टर) पर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉपुलेशन बेस स्क्रीनिंग (PBS) गतिविधि करवाने बाबत।

संदर्भ:- निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर के पत्रांक F-42()2 /NHM/H&WC/2019/2762 दिनांक 09.09.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदर्थित पत्र के क्रम में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के चयनित हेल्थ वेलनेस सेन्टरों पर पॉपुलेशन बेस स्क्रीनिंग एण्ड मैनेजमेन्ट की क्रियान्विति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1787 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) को स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों (HWC) में परिवर्तन कर कार्यशील किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। उपरोक्त समस्त 1787 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (PHC) पर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत पॉपुलेशन बेस स्क्रीनिंग (PBS) गतिविधि की जानी है।

जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सब सेन्टरों को हेल्थ वेलनेस सेन्टर में परिवर्तन किया गया है उनमें निम्न गतिविधियां किया जाना सुनिश्चित करें -

1. उक्त हेल्थ वेलनेस सेन्टर में कार्यरत आशा सहयोगिनी, एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स एवं मेडिकल ऑफिसर के स्वीकृत पद एवं उक्त पद पर कार्यरत स्टाफ की सूची तैयार की जावें।
2. उक्त स्टाफ का प्रशिक्षण 15.10.2019 तक पूर्ण हो जावें इस अनुसार बैच बनाया जावे तथा ट्रेनिंग की दिनांक निश्चित की जावें, ट्रेनिंग के संबंध में पूर्व में दिये गये दिशा निर्देशानुसार ट्रेनिंग की जावे।
3. हेल्थ वेलनेस सेन्टर के अधीन समस्त आशा सहयोगिनी के घरों की संख्या पूर्व से निर्धारित है की गणना करते हुए कुल कितने घर है, की संख्या ज्ञात की जावे तथा उक्त क्षेत्र में कुल जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत लक्षित जनसंख्या है का आशा सहयोगिनी द्वारा CBAC फार्म भर हेल्थ प्रमोशन एवं एएनएम द्वारा गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग की जावें।
4. जिन आशा सहयोगिनी एवं एएनएम का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है वह अपने क्षेत्र में जाकर फैमिली सर्वे प्रारम्भ करें। फैमिली सर्वे 30.11.19 तक पूर्ण हो जावे इस तरह की कार्य योजना बनायी जावे।

चूंकि उपरोक्त क्रियान्विति हेतु आशा को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जानी है :-

- आशा सहयोगिनी द्वारा व्यक्ति की गणना, सीबैक फॉर्म भरना तथा एनसीडी की स्क्रीनिंग हेतु मोबिलाईज करने के उपरान्त राशि रूपये 10/- प्रति व्यक्ति एक बार दिया जावेगा।
 - आशा सहयोगिनी द्वारा असंक्रामक बीमारी के पॉजिटिव पाये गये मरीजों का 6 माह तक फॉलोअप करने पर राशि रूपये 50/- प्रति व्यक्ति दिये जावेंगे।
5. एएनएम/ कम्प्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा जिन हेल्थ वेलनेस सेन्टर में फैमिली सर्वे पूर्ण हो गया है उसमें आउटरीच कैम्प लगाकर गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग की जावें। एएनएम/ कम्प्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा BMI, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं ऑरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जावे तथा तथा सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग प्रशिक्षित स्टाफ नर्स, कम्प्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर एवं मेडिकल ऑफिसर द्वारा चिकित्सालय पर की जावें।
 6. CBAC फार्म भरे गये तथा स्क्रीनिंग किये गये व्यक्तियों का साथ-साथ एमओ पोर्टल पर इन्द्राज कराया जावें यदि टैबलेट का क्रय हो जाता है तो उसका इन्द्राज सीधे ही टैबलेट से किया जावें।
 7. 31 मार्च तक लक्षित जनसंख्या का 100 प्रतिशत सभी तरह के गैर संचारी रोग (BMI, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऑरल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर) की स्क्रीनिंग की जावें।
 8. स्क्रीनिंग एवं निदान में जिन व्यक्तियों को बीमारी पायी जाती हैं उनको चिकित्सालय स्तर पर एनसीडी पोर्टल पर इन्द्राज (Examination at PHC) किया जावें।
 9. उपचार एवं निदान में जिन मरीजों को गैर संचारी बीमारी पाई जाती है उस मरीज को स्वास्थ्य प्रोत्साहन देने हेतु 1 माह की दवाई दी जावें। मरीज को दवाई के विषय में समझाने के समय यह भी बताया जाये कि 1 माह के बाद आप आपके नजदीक के हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर जावें वहाँ पर जाच कराने पर रिपोर्ट सामान्य पाई जाती है एवं किसी भी तरह की कठिनाई नहीं है तो हेल्थ वेलनेस सेन्टर

से 1 माह की दवाई प्राप्त कर ली जावे यदि रिपोर्ट असामान्य या कोई परेशानी आती है तो पुन चिकित्सक से संपर्क करें।

यदि एनसीडी पोर्टल में इन्द्राज करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री प्रशांत पाठक (मो.नं. 7976886638), जयपुर से समन्वय स्थापित कर अपनी कठिनाई को दूर किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त क्रियान्विति शीघ्रताशीघ्र जिले की समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रारम्भ कर HWC Reporting प्रपत्र में रिपोर्ट राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्र को पूर्ण प्राथमिकता दें।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एनसीडी/यूनिवर्सल स्क्रीनिंग/एचडब्ल्यूसी/2019-20/ 606
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक - 19/9/19

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, एनएचएम, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
6. स्टेट नोडल ऑफिसर, हैल्थ वेलनेस सेन्टर, मुख्यालय।
7. समस्त उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) एवं प्रभारी अधिकारी, एनसीडी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (हैल्थ वेलनेस सेन्टर) पर जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही एनसीडी रजिस्टर/आईईसी की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें।
8. समस्त जिला एनसीडी सैल, कार्यालय मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
9. स्टेट प्रोग्राम कॉर्डिनेटर, विश फाउन्डेशन, जयपुर (राजस्थान) <hsarswat@wishfoundationindia.org>।
10. श्री प्रशान्त पाठक, टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि (मो.नं.7976886638), <ppathak@tatatrusters.org> जयपुर।
11. प्रभारी, सर्वर रूम।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर